न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी सुनीता चौधरी आर.ए.एस.
अपील संख्याः 2020/00073 (73/2020) एल.आर. एक्ट

प्रताप सिह पुत्र सुरजाराम जाति जाट साकिन बुधवालिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रावतसर, तहसील रावतसर।
2. साहबदीन पुत्र सुभानखां जाति मुसलमान साकिन मोटेर तहसील रावतसर।

रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितः 1. श्री विजयकुमार पारीक – अभिभाषक अपीलांट

निर्णय **दिनांकः 05–04–2021**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर के अपील संख्या 10/2017 में पारित निर्णय दिनांक 04–08–2017 के विरूद्व पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रावतसर ने अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर में साहबदीन पुत्र सुभान खां के विरूद्व अपील पेश कर निवेदन किया कि दिनांक 02.03.1994 नामान्तरण सं0 846 व आदेश दिनांक 27.05.1994 के नामान्तरण सं0 856 वाके रोही मौजा मोटेर व घान्घुसर व मोटेर के सिवाय चक आराजी राज भूमि को रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज कर उन्हे खातेदार अधिकार दिये गये अधिकारो को निरस्त कर भूमि आराजी राज दर्ज करने का आदेश दिया जावें। अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर ने अपने निर्णय दिनांक 04–08–2017 द्वारा अपील स्वीकार कर इंतकाल संख्या 846 व 856 रोही मौजा मोटेर खारिज कर दिया। अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर के निर्णय दिनांक 04–08–2017 के विरूद्व अपीलान्ट ने इस न्यायालय में अपील पेश कर अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरवाने का निवेदन किया।
3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को जरिये

सम्मन सूचित किये जाने के बाद भी उपस्थित नही आये और ना ही उनकी ओर से कोई वैधानिक प्रतिनिधि उपस्थित आये।

4. अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने लिखित बहस पेश कर तथा अपील मीमो पर अंकित बिन्दुओ को दौहराते हुवे बहस के दौरान कहा कि अपीलान्ट ने जरिये रजिस्ट्री खातेदारी भूमि खातेदार से दिनांक 04.11.1997 को खरीद की थी। खरीद के पश्चात अपीलान्ट के नाम नामान्तरणकरण दर्ज हुआ। खरीद के समय से अपीलान्ट का उक्त बारानी भूमि पर कब्जा काश्त है, राजस्व जमाबन्दी मे अपीलान्ट बतौर खातेदार दर्ज चला आ रहा है। तहसीलदार रावतसर ने अपील अधीनस्थ न्यायालय में अन्तर्गत सैक्शन 75 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत पेश की जो अनकम्पलीट व डिफेक्टिव थी, तथा दो आदेशो के विरूद्व अपील पेश की जो मेन्टेनेबल नही है। इन्तकाल संख्या 846 व 856 दिनांक 02.03.1994 व 27.05.1994 के नही है। मूल आदेश के विरूद्व अपील पेश नही की गई है तथा मूल आदेश के विरूद्व अपील सक्षम न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी मे पेश की जा सकती है। प्रथम अपील न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किये बिना अपील का फैसला कर दिया जो गलत है। प्रथम अपील स्पष्टतया मियाद बाहर पेश की गई थी, अपील मे दफा–5 का प्रार्थना पत्र वेग पेश किया गया था। अपीलाधीन आदेश का इल्म गलत अंकित किया गया है। मियाद का बिन्दु तय किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित कर दिया। प्रथम अपील ग्राम धांधूसर की भूमि बाबत पेश कि जबकि साहबदीन की भूमि ग्राम मोटेरा में है। जिला कलक्टर के पत्र की पालना न कर अन्य भूमि बाबत निर्णय पारित कर दिया जो गलत है। प्रथम अपील न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना पक्षकार बनाये अपील की जो गलत है, क्योकि व्यथित पक्षकार अपीलान्ट है, उसकी खातेदारी भूमि का आराजी राज दर्ज कर दिया गया है। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने पक्ष के समर्थन में आर.आर.डी. 1983 के पृष्ठ 811, आर.आर.डी. 1994 के पृष्ठ 85, आर. आर.डी. 2008 के पृष्ठ 755, आर.आर.डी. 2006 के पृष्ठ 131, आर.आर. डी. आर.आर.डी. 1996 पृष्ठ 547, आर.आर.डी. 1984 के पृष्ठ 446, आर.आर.डी. 1999 के पृष्ठ 98, आर.आर.डी. 2019 के पृष्ठ 102 व 494, आर.आर.डी. 2018 के पृष्ठ 479, आर.आर.डी. 1986 के पृष्ठ 137,के न्यायिक दृष्टांत पेश कर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ

5/4/21
अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर के आदेश दिनांक 04–08–2017 को खारिज करने का निवेदन किया।

5. रेस्पोडेंट नं. 1 तहसीलदार रावतसर की ओर से लिखित जवाब पेश किया गया। उन्होने लिखित जवाब में अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 04.11.1997 को जरिये बैयनामा कृषि भूमि खरीद करने का कथन जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मिन उतरदाता द्वारा जिला कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के अनुसरण में अपील अपने पदीय कर्तव्यो की पालना में प्रस्तुत की गई थी। जिला कलक्टर हनुमानगढ के आदेश की पालना में ही साहबदीन के नाम से अपील प्रस्तुत की थी व अपील प्रस्तुत किये जाने के दिवस साहबदीन का नाम कृषि भूमि के खातेदारी अधिकार नही थे। साहबदीन अपीलान्ट को भूमि विक्रय की हो यह जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। अपीलार्थी का यह कथन कि खातेदारी भूमि खारिज किये जाने का अधिकार सक्षम न्यायालय में दावा प्रस्तुत कर ही चैलेन्ज किया जा सकता है, यह कथन असत्य है। मिन उतरदाता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष साहबदीन पुत्र सुभान खा के नाम दर्ज नामान्तरण संख्या 846 दिनांक 02.03.1994 व नामान्तरण संख्या 856 दिनाक 27.05.1994 की अपील प्रस्तुत की गई थी व नामान्तरण के विरूद्व अपील सुनवाई का अधिकार लैण्ड रैवन्यू एक्ट के अधीन अधीनस्थ न्यायालय को प्राप्त है। न्यायालय द्वारा आवश्यक पक्षकार साहबदीन को पुर्ण सुनवाई का अवसर देकर न्याय संगत आदेश पारित किया गया है। अपीलार्थी द्वारा न्यायालय से एक वाद या अपील में एक साथ कई अनुतोष की माग कर सकता है व न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को एक निर्णय द्वारा कई अनुतोष दिये जा सकते है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मिन उतरदाता द्वारा प्रस्तुत अपील मे मियाद प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय को Delay Condone करने का कानूनी अधिकार प्राप्त है। जिला कलक्टर हनुमानगढ द्वारा मिन उतरदाता को साहबदीन के नाम दर्ज नामान्तरण के विरूद्व अपील प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया था, व मिन उतरदाता द्वारा उच्च अधिकारी के आदेश व अपने पदीय कर्तव्यो की अनुपालना में अपील प्रस्तुत की गई। अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश से किसी भी तरह के हित प्रभावित नही होते है। अपीलार्थी वांछित

5/4/21.
अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अनुतोष के लिए सक्षम न्यायालय में दावा प्रस्तुत कर सकता है। अपीलार्थी द्वारा अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.08.2017 का शुरू से ज्ञान रहा है। अतः अपीलार्थी की अपील सव्यय खारिज फरमाई जावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट की बहस पर मनन किया, तथा तहसीलदार रावतसर द्वारा प्रस्तुत लिखित जवाब एवं उपलब्ध दस्तावेजात, पत्रावलियों एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। न्यायालय का निर्णय इस प्रकार है :–

(i) अपील में सर्वप्रथम धारा 96 सीपीसी एव धारा 5 मियाद पर विचार किया जाता है। अपीलांट ने अति. जिला कलक्टर नोहर के आदेश दिनांक 04.07.2017 के विरूद्व अपील पेश की जिसमे वह पक्षकार नही था। उसको बिना पक्षकार बनाये आदेश पारित किया गया है। उसे न्यायहित में सुनवाई का मौका दिया जाना उचित है। अपीलांट का धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं।

(ii) न्यायालय के अनुसार मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाया जाना चाहिए तथा मात्र तकनिकी आधार पर अपील को खारिज नही किया जाना चाहिऐ, विशेषकर जब प्रार्थी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नही हुआ हो। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय मे पक्षकार नही था, इसलिए न्यायहित में अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

(iii) अपीलान्ट का मुख्य कथन यह कि उसने यह भूमि खातेदार से जरिये रजिस्ट्र्ड खरीद की है, तथा मौके पर उसका कब्जा कास्त है।

(iv) अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से पाया कि जिला कलक्टर हनुमानगढ ने अपने पत्र दिनांक 21 सितम्बर 2016 द्वारा हनीफ नामक व्यक्ति के विरूद्व स्टेट की ओर से न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर में नामान्तरकरण खारिज करने के लिए तहसीलदार रावतसर को अपील करने के लिए पत्र लिखा। तहसीलदार रावतसर ने हनीफ के विरूद्व अपील नही कर साहबदीन के विरूद्व अपील पेश कर दी जो ये

5/4/21.
अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

विरोधाभाषी है। इस संबध में तहसीलदार रावतसर का लिखित जवाब दिनांक 25.01.2021 भी संतोषजनक नही है। तहसीलदार रावतसर ने हनीफ के विरूद्व अपील नही कर साहबदीन के विरूद्व अपील क्यो पेश की, इसका भी जवाब मे कारण नही बताया गया है। अतः अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार करते हुवे अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04–08–2017 को निरस्त किया जाता है। तथा प्रकरण अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता हे कि प्रकरण की पुन जांच कर उभय पक्ष को सुनकर पुन विधि अनुसार निर्णय पारित करे। तब तक उभय पक्ष इस विवादित भूमि को आगे रहन बैय एवं हस्तान्तरण नही करेगे।

तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 05–04–2021 को लिखवाया जाकर सुनाया गया।

5/4/21.

(सुनीता चौधरी)
अति.संभागीय आयुक्त,
बीकानेर।